विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 1098/वि0स0/संसदीय/03(सं)/2019

लखनऊ, दिनांक 07 दिसम्बर, 2019

प्रेषक,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

महोदय/महोदया,

मुझे आपसे यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि इस सचिवालय के पत्र संख्या : 1095/वि0स0/संसदीय/09(सं)/2017, दिनांक 07 दिसम्बर, 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा का वर्ष 2019 का चतुर्थ सत्र की आगामी बैठकों का दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 से 20 दिसम्बर, 2019 तक का प्रस्तावित कार्यक्रम मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा अनन्तिम रूप से स्वीकृत किया गया है। उक्त कार्यक्रम में दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 को असरकारी दिवस दिया जाना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (पन्द्रहवां संस्करण) के निदेश संख्या-6 के अनुसार सत्र में उपलब्ध होने वाले प्रथम असरकारी दिवस को संकल्प तथा उसके बाद उपलब्ध होने वाले द्वितीय असरकारी दिवस को असरकारी विधेयक लिये जाने का प्राविधान है। इस प्रकार शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 को उपलब्ध होने वाले प्रथम असरकारी दिवस को लिये जाने वाले संकल्पों हेतु शलाका माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के आदेशानुसार निदेश संख्या-8 को शिथिल करते हुए सोमवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 को अपराह्न 4:30 बजे प्रमुख सचिव, विधान सभा के कार्यालय-कक्ष में की जायेगी। असरकारी संकल्पों हेतु की जाने वाली शलाका के लिये सूचनाएं दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 को अपराह्न 4:00 बजे तक दी जा सकती हैं। शलाका के समय कोई भी माननीय सदस्य उपस्थित रह सकते हैं।

अतएव, आप यदि चाहें तो, अपने असरकारी संकल्प की सूचना दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 को अपराह्न 4:00 बजे तक इस सचिवालय में दे सकते हैं। उक्त शलाका के लिये किसी सदस्य से प्राप्त एक से अधिक असरकारी संकल्प की सूचना ग्राह्य नहीं की जायेगी।

भवदीय,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1098(1)/वि0स0/संसदीय/03(सं)/2019, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य अनुभाग-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अशोक कुमार,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी-एल0 216 विधान सभा (349)-07-12-2019-5[illegible] [illegible] (कम्प्यूटर)।